

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(57)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे स्पष्ट हो।



ग्राम : चूलीवर्ती
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 330

दिनांक: 10/05/13

// सूचना //

07534 - 234124

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पातीयम शिवहरे महाविद्यालय भिण्ड () को सत्र 2013-14 के लिये
प्रस्तावित/संचालित बी.ए.द्वितीय (आ.पा., अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र), अति.विषय- सैन्यविज्ञान, हिन्दी, इतिहास,
शृणुल एवं अंग्रेजी, बी.एस.-सी द्वितीय (आ.पा., रसायन, भौतिक, जीवविज्ञान), अति.विषय- गणित, वनस्पति एवं कम्प्यूटर
साइंस, बी.सी.ए. प्रथम, बी.बी.ए.प्रथम पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के
लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के
परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निर्मानानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. विशेष बापट, आचार्य, समाजकार्य अ.शा., जी.वि.वि., ग्रा. (संयोजक) (9826217320)
2. प्रो. अन्धू चतुर्वेदी, आचार्य, एम.आई.टी.एस. कॉलेज, ग्वालियर
3. प्रो. कमल जैन, आचार्य, पी.जी.डी. कॉलेज, ग्वालियर
4. प्रो. पियूषकान्त शर्मा, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्रा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विरेशों का यालन सुविशिष्ट किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निर्मानानुसार अर्थात् जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. /
मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

Z mm's
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आगुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

[Signature]
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)